कार्यालय लोकपाल (मनरेगा)
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

मनरेगा वाद संख्या–4, 6, 7, 12, 15, 16, 22, 23, 24/2017 श्रीमती फातमा खातून एवं अन्य बनाम पर पंचायत रोजगार सेवक, मुखिया, उ0 मनसिंधा, पंचायत तकनीकी सहायक, कनीय अभियंता और कार्यक्रम पदाधिकारी, सुगौली।

वाद का वर्णन

परिवादीगण श्रीमती फातमा खातुन, नूरजहाँ खातुन मु0 राजो, सैयरा खातुन, मैरुन नेशा, अलिसहन खाँ, हलिमा खातुन, मु0 सीता देवी एवं मु0 रुहआफजा खातुन, ग्राम पंचायत राज–उ0 मनसिंधा, प्रखंड–सुगौली द्वारा आवेदन दिया गया है कि मनरेगा में वृक्षारोपण में कार्य किया गया हे लेकिन मजदूरी नहीं मिला है। मजदूरी दिलवाने हेतु अनुरोध किया गया है।

कार्रवाई/अनुपालन

अतः उक्त आवेदन के आलोक में वाद दायर कर पचांयत रोजगार सेवक उ0 मनसिंधा और कार्यक्रम पदाधिकारी, सुगौली को नाटिस जारी किया गया। पंचायत रोजगार सेवक उ0 मनसिंधा ओर कार्यक्रम पदाधिकारी, सुगौली द्वारा जवाब दिया गया है जो निम्न प्रकार है:–

क्र0	वाद संख्या	परिवादी का नाम एवं जॉबकार्ड सं0	योजना सं0/ MIS	कार्य दिवस एवं राशि	बकाया मजदूरी की राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
01	04/2017	फातमा खातुन 607	4/2011–12 DP–789	43 x162=6960	6966.00	MIS बंद रहने के कारण भुगतान बकाया है।
02	06/2017	नूरजहाँ खातुन 1736	05/2011–12 DP–790	100 x144=14400	14400.00	
03	07/2017	मु0 राजो 1438	8/2011–12 DP–591 A	50x144=7200	7200.00	
04	12/2017	सैयरा खातुन 1659	5/2011–12 DP–790	98 x144=14112	14112.00	
05	15/2017	मैरुन नेशा 851	7/2011–12 14DP–792	31x138=4278	4278.00	
06	16/2017	अलिहसन खाँ 1747	1015/10–11 D16P–593	100x144=14400	14400.00	
07	22/2017	हलिमा खातुन 1746	17/10–11 DP–600	100x144=14400	14400.00	
08	23/2017	मु0सीता देवी 868	14/11–12 DP–799	70X162=14400	11340.00	
09	24/2017	मु0 रुहआफजा खातुन 673	17/10–11 DP–600	100X144=14400	14400.00	

विचारणीय बिन्दु

1. क्या परिवादीगण द्वारा मनरेगा में काम किया गया है ?
2. क्या परिवादीगण का मजदूरी का भुगतान किया गया ह?

निष्कर्ष / निर्णय

पत्रावली और पंचायत रोजगार सेवक, उ0 मनसिंधा कार्यक्रम पदाधिकारी, सुगौली द्वारा समर्पित विस्तृत प्रतिवेदन एवं प्रस्तुत अभिलेखो से ज्ञात होता है कि परिवादीगण द्वारा मनरेगा वृक्षारोपण योजना में काम किया गया है लेकिन मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। मनरेगा एक्ट के तहत 15 दिनों के अंदर मजदूरी भुगतान किया जाना है, जिसका अनुपालन नहीं किया गया है। महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की अनुसूची II में पारा–29 के अनुसार मजदूरी पर प्रतिदिन 0.05 प्रतिशत की दर से विलम्ब के लिए क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान किया जाय।

पंचाट(अधिनिर्णय)

1. कार्यक्रम पदाधिकारी, सुगौली को आदेश दिया जाता है कि परिवादी का बकाया मजदूरी भुगतान क्षतिपूर्ति राशि के साथ यथाशीध्र किया जाय।
2. क्षतिपूर्ति की राशि की वसूली विलम्ब के लिए उत्तरदायी कर्मियों से किया जाय।

ह0

लोकपाल(मनरेगा),
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक– 32 / दिनांक– 5.7.18

प्रतिलिपि :– **सचिव**, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– **जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा)–सह–जिला पदाधिकारी**, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– **उप विकास आयुक्त**, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– **कार्यक्रम पदाधिकारी**, सुगौली / पं0रो0से0, उ0 मनसिंधा एवं परिवादीगण को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

5/7/18

लोकपाल(मनरेगा)
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।